2017/00073 (30)

रमेश / रामेश्वर

न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ

प्रकरण संख्या :   /2017

बमुक0 रमेश बगैरा बनाम रामेश्वर बगैरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट</u>

24.05.2017 प्रार्थना पत्र बाद जांच कार्यालय से पेश हुआ । वकील सायल उपस्थित । वकील सायल को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में प्रतीत होता है ।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उभयपक्ष को पावंद किया जाता है कि वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.07.2017 तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 32, 40, 133, 135, 229, 236 **वाके ग्राम** उमरारा **तहसील सैपऊ पर** रिकॉर्ड एंव मौके की यथास्थिति **बनाये रखें** । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें । गैरसायलान को जरिये रजिस्ट्री नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 12.07.2017 को पेश हो। [signature]

12/7/17 आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत को लोकअप कैम्प सम्बधा पर पेश हुई। दावा Not Press में खारिज किया जा चुका है। प्रा० पत्र 212 RT Act को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा०पत्र 212 RT Act खारिज किया जाता है तथा दिनांक 24/5/17 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली नाकाम शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]